जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/ जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1751/2026

सिमरा थाना काण्ड संख्या–13/2026

16.07.2026 आवेदक राजु कुमार उर्फ राजु विश्वकर्मा की ओर से सिमरा थाना कांड संख्या–13/2026 अंतर्गत धारा 303(2), 317(2), 221, 3(5) भारतीय न्याय संहिता में अपनी गिरफ्तारी के आशंका को देखते हुये अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि पु0स0अ0नि0 दिलीप पासवान एवं सशस्त्र बल के जवान सुरज कुमार दिनांक–03.03.2026 को होली पर्व में विधि व्यवस्था ड्युटी हेतु सरकारी मोटरसाईकिल निवंधन संख्या–BR01JK3502 से सिमरा थानान्तर्गत अमरपुर गये थे तथा संतोष कुमार के घर के सामने करंज के पेड़ के पास मोटरसाईकिल खड़ा कर दिये थे जिसे अज्ञात चारों के द्वारा चोरी कर ली गई। पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि उपरोक्त अभियुक्त के द्वारा ले जाया गया है, जिसे अरहर के खेत से बरामद किया गया तथा एक अभियुक्त अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया।

आवेदक ने अपने दाखिल अग्रिम याचिका में यह निवेदन किया गया है कि वे निर्दोष है। आवेदक की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन पत्र के अलावा अन्य कोई भी जमानत आवेदन पत्र श्रीमान् के न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नही किया है और न ही लंबित है। आवेदक का अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। इस वाद के सह अभियुक्त अक्षय कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसका नाम आया है। इस वाद के अन्य अभियुक्तगण पंकज कुमार एवं पप्पु रजक का अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा प्रदत किया गया है। अतः आवेदक को किसी भी राशि के बंधपत्र पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किये कि अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि यह अग्रिम जमानत आवेदन, सिमरा थाना कांड संख्या–13/2026 अंतर्गत धारा 303(2), 317(2), 221, 3(5) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज की गई प्राथमिकी से सम्बन्धित है। इस वाद के एक अन्य अभियुक्त अक्षय कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इसे प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा कांड दैनिकी में कोई स्वतंत्र साक्षी का बयान दर्ज नहीं है। इस वाद के अन्य अभियुक्तगण पंकज कुमार एवं पप्पु रजक का अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा प्रदत किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ, आवेदक राजु कुमार उर्फ राजु विश्वकर्मा को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी की दशा में या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में आदेश संसूचना की तिथि से चार सप्ताह के अंदर, आवेदक/अभियुक्त के आत्मसमर्पण किये जाने की दशा में (10000X2) दस–दस हजार रूपये के दो विश्वसनीय जमानतदारों एवं उतने ही धनराशि के बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर संबंधित विद्वान न्यायालय की संतुष्टि पर धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में दिये गये शर्तो के अधीन रहते हुए अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि आवेदक अनुसंधान एवं विचारण के दौरान पूर्णतः सहयोग करेगा, किसी भी साक्ष्य एवं साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, प्राप्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा एवं भविष्य में वह इसी तरह का दोबारा अपराध कारित नहीं करेगा।

आदेश की तिथि	16.07.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	नही
अपलोड करने की तिथि	18.07.2026
द्वारा अपलोड किया गया	स्टेनोग्राफर

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति,बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम),औरंगाबाद।
16.07.2026